

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-1/2018/

दिनांक:-

--आदेश--

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	घनश्याम नारायण सैन	नर्स प्रथम	नागौर	23.11.1958	30.11.2018
2.	अनिता अग्रवाल	नर्स प्रथम	जयपुर	27.01.1959	31.01.2019
3.	ताराचन्द जाट	नर्स प्रथम	झुन्झुनू	20.02.1959	28.02.2019
4.	जाहिद अली	नर्स प्रथम	जयपुर	12.02.1959	28.02.2019
5.	रूपेश्वरी	नर्स प्रथम	जयपुर	27.02.1959	28.02.2019
6.	उषा	नर्स प्रथम	ब्यावर अजमेर	24.02.1959	28.02.2019
7.	घीसाराम धाकड़	नर्स प्रथम	उदयपुर	01.03.1959	28.02.2019
8.	रेखा आरलिंगटन	नर्स प्रथम	उदयपुर	20.02.1959	28.02.2019
9.	भंवर लाल पालीवाल	नर्स प्रथम	पाली	01.04.1959	31.03.2019
10.	क्रिस्टीना एच. साइमन	नर्स प्रथम	जयपुर	13.03.1959	31.03.2019
11.	ओंकार वर्मा	नर्स प्रथम	हनुमानगढ़	26.03.1959	31.03.2019
12.	संतोष कुमार जैन	नर्स प्रथम	जयपुर	05.03.1959	31.03.2019
13.	वलसला कुमारी	नर्स प्रथम	जयपुर	25.04.1959	30.04.2019
14.	मरियम्मा ई.आई.	नर्स प्रथम	जालौर	31.05.1959	31.05.2019
15.	वलसला के.के	नर्स प्रथम	जयपुर	24.05.1959	31.05.2019
16.	कौशल्या माथुर	नर्स प्रथम	जोधपुर	05.07.1959	31.07.2019
17.	रामगोपाल गुप्ता	नर्स प्रथम	जयपुर	01.07.1959	30.06.2019
18.	रमेश चन्द रतन	नर्स प्रथम	जयपुर	05.07.1959	31.07.2019
19.	जगदीश प्रसाद जांगिड़	नर्स प्रथम	जयपुर	01.07.1959	30.06.2019
20.	सलमा बानो	नर्स प्रथम	जोधपुर	01.08.1959	31.07.2019
21.	अहमद सईद	नर्स प्रथम	जोधपुर	17.07.1959	31.07.2019
22.	रामसजन यादव	नर्स प्रथम	जयपुर	14.07.1959	31.07.2019
23.	आशा शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	05.07.1959	31.07.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

-sd-
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-1/2018/558

दिनांक: 06-11-2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर